NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 07-11-2026

विषय सूची

ओबीसी में क्रीमी लेयर निर्धारण का एकमात्र आधार माता-पिता की आय नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

विकसित भारत 2047 के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS)

भारतीय कंपनियों के ओवरसीज़ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने संबंधी नियमों का शिथिलीकरण

संक्षिप्त समाचार

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शहीद स्मारक

एशियाई राजनीतिक दलों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICAPP)

भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) स्कोरबोर्ड

पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार

कोचोन पुरस्कार 2026

'महाभारत', 'अर्थशास्त्र' और 'राजतरंगिणी' यूनेस्को के स्मृति पंजिका में सम्मिलित

ओबीसी में क्रीमी लेयर निर्धारण का एकमात्र आधार माता-पिता की आय नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च के अपने निर्णय की पुनः पुष्टि की है। इस निर्णय में कहा गया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में क्रीमी लेयर की स्थिति का निर्धारण केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

- **1993 का कार्यालय ज्ञापन (OM):** इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करते समय वेतन एवं कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया गया था।
 - **2004 का स्पष्टीकरण:** इसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन संबंधी आय को क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
 - **स्पष्टीकरण का क्रियान्वयन:** वर्ष 2014 तक इस स्पष्टीकरण को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2015 (2016 बैच) से इसे कठोरता से लागू किया गया।
 - **अभ्यर्थियों पर प्रभाव:** परिणामस्वरूप, सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 100 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के दावों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के आधार पर अस्वीकार कर दिया।
- **सर्वोच्च न्यायालय का 11 मार्च, 2026 का निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के उन निर्णयों को बरकरार रखा, जिनमें प्रभावित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया था।
 - न्यायालय ने केंद्र सरकार को पात्र अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया।
 - न्यायालय ने अपने निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए छह महीने का समय निर्धारित किया।

केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण की मांग

- केंद्र सरकार ने 11 मार्च के निर्णय के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तथा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:
 - इस निर्णय के आधार पर पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों, सेवा आवंटन एवं वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनः नहीं खोला जाना चाहिए।
 - सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र के पदों के बीच समकक्षता निर्धारित करने के लिए सरकार को दो वर्ष का उचित समय दिया जाना चाहिए।
 - निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने पर वर्तमान सेवा व्यवस्थाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम स्पष्टीकरण

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के क्रियान्वयन में देरी करने संबंधी केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि इसमें विलंब करने का कोई ठोस औचित्य नहीं है।
 - न्यायालय ने निर्णय के क्रियान्वयन की समय-सीमा आठ सप्ताह बढ़ा दी।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 11 मार्च के निर्णय के अंतर्गत दी गई राहत केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी, जो मूल न्यायिक कार्यवाही में पक्षकार थे।
- इस निर्णय के आधार पर पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों, सेवा आवंटन या वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को स्वतः पुनः नहीं खोला जाएगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर की व्याख्या सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2025 के सेवा आवंटन में लागू होगी, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अभी लंबित है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसके निर्णय में घोषित विधिक सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत बाध्यकारी न्यायिक दृष्टांत का दर्जा रखता है।

निर्णय का महत्त्व

- **आरक्षण के लाभों का संरक्षण:** यह निर्णय उन प्रभावित अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है, जिनके दावे क्रीमी लेयर संबंधी मानदंडों की व्याख्या के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे।
- **न्यायिक स्पष्टता:** यह निर्णय न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत तथा याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई व्यक्तिगत राहत के बीच अंतर स्पष्ट करता है।
- **प्रशासनिक स्थिरता:** यह पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं, नियुक्तियों एवं वरिष्ठता संबंधी व्यवस्थाओं को पुनः खोलने से रोकता है, जिससे अन्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा होती है।

- **संवैधानिक जवाबदेही:** यह संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति को और अधिक सुदृढ़ करता है।
 - **अनुच्छेद 141:** इसके अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी।

भारत में आरक्षण

- **प्रत्यक्ष भर्ती (खुली प्रतियोगिता के माध्यम से):** अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होने वाली प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए क्रमशः 15%, 7.5% और 27% आरक्षण का प्रावधान है।
 - **प्रत्यक्ष भर्ती (खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त):** अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से होने वाली प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25.84% आरक्षण निर्धारित है।
- **103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019:** इसके माध्यम से राज्य (केंद्र एवं राज्य सरकारें) को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण प्रदान करने का अधिकार दिया गया।

क्रीमी लेयर का सिद्धांत

- **अर्थ:** यह एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी रोजगारों में आरक्षण का लाभ किसी सामाजिक समूह के उन सदस्यों तक सीमित रखना है, जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हैं।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य आरक्षित वर्ग के अपेक्षाकृत संपन्न एवं सुविधासंपन्न सदस्यों को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने से रोकना है, ताकि वास्तविक रूप से वंचित वर्गों तक इन लाभों की पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- **उद्भव:** इस अवधारणा को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में प्रतिपादित किया था। इसे मंडल आयोग मामले के नाम से भी जाना जाता है।
 - न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अंतर्गत आने वाले अपेक्षाकृत अधिक सुविधासंपन्न व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
- **प्रभाव:** क्रीमी लेयर सिद्धांत के माध्यम से सरकार अपनी सकारात्मक कार्रवाई संबंधी नीतियों को अधिक प्रभावी एवं न्यायसंगत बनाने का प्रयास करती है, ताकि सहायता का लाभ सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुँच सके।

50% आरक्षण का नियम

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कुल पदों अथवा सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **मंडल आयोग मामला (1992):** सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - ऐसी असाधारण परिस्थितियों में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले तथा समाज की मुख्यधारा से बाहर रखे गए समुदायों को आरक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है।
 - यह मानदंड भौगोलिक न होकर सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित है।
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) संबंधी निर्णय:** सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
 - इसका अर्थ है कि वर्तमान में 50% की सीमा गैर-ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर लागू होती है तथा राज्य ईडब्ल्यूएस आरक्षण सहित कुल 60% तक आरक्षण प्रदान कर सकते हैं।

आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16 :** यह सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान करता है।
 - इसके अपवादस्वरूप, राज्य को किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार है, जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 16(4A):** - इसके अंतर्गत राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अनुच्छेद 335:** यह प्रावधान करता है कि राज्य की सेवाओं एवं पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करते समय विशेष उपाय अपनाए जाने चाहिए, ताकि उन्हें अन्य वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।
- **भारत का 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019:** इसके माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।

स्रोत: IE

विकसित भारत 2047 के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन

संदर्भ

- विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्रतिवर्ष लगभग 4% की वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए वर्तमान कृषि विस्तार प्रणाली को परिवर्तित कर किसान-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कृषि विस्तार क्या है?

- **अर्थ:** कृषि विस्तार एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता एवं सततता में सुधार के लिए ज्ञान, तकनीकी परामर्श, कौशल तथा सहायता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- यह कृषि अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच संपर्क स्थापित करता है, ताकि उन्नत कृषि पद्धतियों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।
- भारत में ऐतिहासिक रूप से कृषि विस्तार की व्यवस्था ऊपर से नीचे की ओर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दृष्टिकोण पर आधारित रही है। इसमें विशेषज्ञ प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं तथा विस्तार कार्यकर्ता उन नवाचारों को किसानों तक पहुँचाते हैं।

कृषि विस्तार प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

- **जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण:** जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण, जल की कमी तथा कृषि आगतों की आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसी समस्याओं के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधान आवश्यक हैं।
- **नवाचारों को अपनाने में बाधाएँ:** संभावनाशील कृषि नवाचार अपर्याप्त आधारभूत संरचना, वित्तीय बाधाओं तथा पूरक सेवाओं तक सीमित पहुँच के कारण व्यापक स्तर पर अपनाए नहीं जा पाते हैं।
- **नई प्रौद्योगिकियों से जुड़ी चुनौतियाँ:** नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सीखने की लागत, वित्तीय निवेश तथा अनिश्चितता शामिल होती है, जिसके कारण जोखिम लेने से बचने वाले किसान इन्हें अपनाने में हिचकिचाते हैं।
- **बदलती बाजार आवश्यकताएँ:** पारंपरिक कृषि संबंधी परामर्श के अतिरिक्त किसानों को बाजार तक पहुँच, गुणवत्ता प्रमाणन, उत्पादों की अनुरेखणीयता तथा निर्यात संबंधी मानकों के अनुपालन में भी सहायता की आवश्यकता है।

पारंपरिक कृषि विस्तार मॉडल की सीमाएँ

- **शीर्ष से आधार स्तर तक दृष्टिकोण:** इसमें ज्ञान का प्रवाह अनुसंधान संस्थानों से कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं और फिर किसानों तक होता है।
- **मानकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा:** यह कृषि की ऐसी मानकीकृत कार्य-पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है, जो मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु तथा कृषि परिस्थितियों की विविधताओं के अनुकूल नहीं होती हैं।
- **किसानों के व्यवहार संबंधी सीमित समझ:** यह मानकर चलता है कि यदि कोई प्रौद्योगिकी अधिक उपज या कम लागत का आश्वासन देती है, तो किसान उसे स्वतः अपना लेंगे। इस दृष्टिकोण में प्रौद्योगिकी अपनाने से जुड़ी व्यावहारिक बाधाओं की अनदेखी की जाती है।

कृषि विस्तार प्रणाली से कृषि अवसर प्रणाली की ओर

- प्रस्तावित दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल सूचना प्रदाता तक सीमित न रहकर अवसर-संयोजक के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अपनाने के लिए आवश्यक सेवाओं एवं संस्थानों से जोड़ा जाएगा।
- यह मानकीकृत प्रौद्योगिकी पैकेजों को बढ़ावा देने के बजाय किसानों की आकांक्षाओं, स्थानीय बाधाओं तथा बाजार में उपलब्ध अवसरों को समझने पर केंद्रित है।

कृषि अवसर प्रणाली के चार प्रमुख स्तंभ

- **प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना :** पारंपरिक प्रौद्योगिकी पैकेजों के स्थान पर किसान-केंद्रित एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल समाधान अपनाना।
 - इन समाधानों का निर्धारण कृषि-जलवायवीय परिस्थितियों, मृदा एवं जल की उपलब्धता, परिवार की क्षमता तथा बाजार की माँग के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **वास्तविक समय पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परामर्श उपलब्ध कराना :** स्थिर एवं मौसमी कृषि कार्य-पद्धतियों के स्थान पर गतिशील तथा वास्तविक समय आधारित निर्णय-सहायता प्रणालियों को अपनाना।
 - स्वचालित मौसम केंद्रों के आँकड़ों, उपग्रह चित्रों तथा स्थानीय कीट पूर्वानुमान प्रतिरूपों का उपयोग करके समयानुकूल एवं स्थान-विशिष्ट सुझाव तैयार करना।
- **सफल नवाचारों का व्यापक विस्तार :** पायलट परियोजना संबंधी बाधा को दूर करना, ताकि अप्रमाणित प्रौद्योगिकियों का समय से पहले व्यापक विस्तार न हो तथा सफल प्रायोगिक परियोजनाएँ सीमित दायरे तक ही सिमटकर न रह जाएँ।
- **समन्वित एवं बहुलतावादी कृषि विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:** खंडित नीतिगत दृष्टिकोण के स्थान पर एक

समन्वित खाद्य प्रणाली आधारित दृष्टिकोण अपनाना, जिसमें पोषण, जल, ऊर्जा तथा किसानों की आय के बीच परस्पर प्रभावों को ध्यान में रखा जाए।

- सार्वजनिक कृषि विस्तार एजेंसियों, कृषि-प्रौद्योगिकी नवोद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), कृषि आगत आपूर्तिकर्ताओं तथा नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

भारत में विद्यमान कृषि विस्तार तंत्र

- कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs): ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अग्रणी संस्थान हैं, जो खेतों पर प्रौद्योगिकियों का परीक्षण, प्रदर्शन तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
 - भारत में 638 ग्रामीण जिलों को आच्छादित करने वाले 731 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं।
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA): यह विभिन्न विभागों एवं संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करके विकेंद्रीकृत तथा जिला-स्तरीय कृषि विस्तार को प्रोत्साहित करता है।
- **किसान सारथी :** यह एक डिजिटल मंच है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित सेवाओं के माध्यम से किसानों तक कृषि संबंधी परामर्श एवं सूचनाएँ पहुँचाने में सहायता करता है।
- **किसान ई-मित्र :** यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक है, जो किसानों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

आगे की राह

- **कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं की भूमिका का पुनर्निर्धारण:** उनकी भूमिका को केवल सूचना प्रदाता तक सीमित न रखकर ऐसे सुविधा प्रदाता के रूप में विकसित करना, जो किसानों को कृषि संबंधी समग्र समाधान उपलब्ध कराने वाली सेवाओं से जोड़ सकें।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानव-आधारित कृषि विस्तार सेवाओं को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
- **मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ करना:** नवाचारों को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले उनकी आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रभावी मूल्यांकन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- **स्थानीय संस्थानों का सशक्तीकरण:** कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा स्थानीय कृषि विस्तार नेटवर्क को सहभागी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

स्रोत: DTE

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS)

संदर्भ

- सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के अंतर्गत 12 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- तमिलनाडु में चार परियोजनाएँ, गुजरात एवं महाराष्ट्र में दो-दो परियोजनाएँ तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में एक-एक परियोजना को स्वीकृति दी गई है।
- इन स्वीकृतियों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत अब तक 16 राज्यों में 34 उत्पादों से संबंधित कुल 118 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना

- **शुभारंभ:** इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2025 में किया गया था। इसकी अवधि छह वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष की अतिरिक्त प्रारंभिक अवधि का प्रावधान है।
- **उद्देश्य:** देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

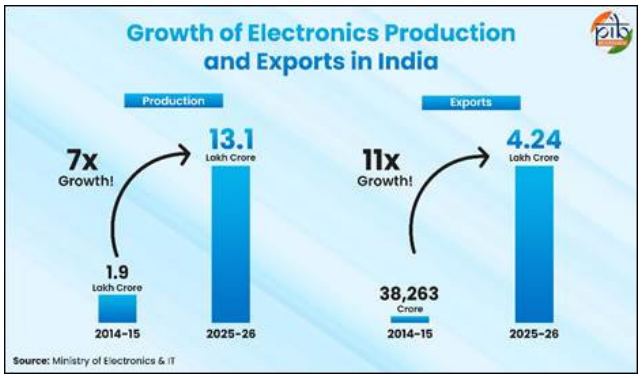


- इस योजना का उद्देश्य देश में आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उप-असेंबलियों तथा कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहित करके भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है।

Outcome Indicator	Expected Outcome by end of FY 2026-27
Investment	₹11,156 crore
Production	₹29,024 crore
Employment generation	19,240 jobs

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र

- **इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में वृद्धि:** भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वर्ष 2014–15 के ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025–26 में ₹13.11 लाख करोड़ हो गया।
- इसी अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ₹38,000 करोड़ से अधिक से बढ़कर ₹4.24 लाख करोड़ हो गया।



- **मोबाइल फोन विनिर्माण में प्रगति:** भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश है।
 - मोबाइल फोन उत्पादन में भारत ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। वर्ष 2014–15 में अपनी कुल आवश्यकता का 78% मोबाइल फोन आयात करने वाला भारत आज लगभग सभी उपकरणों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण कर रहा है।
- **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के प्रमुख निर्यात गंतव्य:** वित्त वर्ष 2024–25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पाँच प्रमुख निर्यात गंतव्य निम्नलिखित हैं:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका
 - संयुक्त अरब अमीरात
 - नीदरलैंड
 - यूनाइटेड किंगडम
 - इटली
- **रोजगार सृजन:** विगत 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं।
- **भविष्य का लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030–31 तक 500 अरब डॉलर का घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

सरकारी पहलें

- **मेक इन इंडिया :** इसका शुभारंभ वर्ष 2014 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।
 - इसका उद्देश्य भारत को अभिकल्पना एवं विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP):** इसका शुभारंभ वर्ष 2017 में मोबाइल फोन एवं उनके पुर्जों में घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था।
 - इसके माध्यम से भारत में निवेश बढ़ाने तथा व्यापक विनिर्माण क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहन मिला है।
- **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI):** इसके अंतर्गत पात्र लक्षित क्षेत्रों में अतिरिक्त बिक्री पर 4% से 6% तक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
 - इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल फोन विनिर्माण का विस्तार करना है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना :** यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है।
 - इसके दूसरे संस्करण (PLI 2.0) का उद्देश्य विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना, आयात पर निर्भरता कम करना तथा भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला के एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- **सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम :** ₹76,000 करोड़ के सेमीकॉन 1.0 कार्यक्रम ने देश में व्यापक अर्धचालक एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान दिया है।
 - यह वेफर निर्माण इकाइयों (Fabs), पैकेजिंग, परीक्षण, अभिकल्पना तथा संबंधित क्षमताओं को समर्थन प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को पूरक सहायता देता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना :** इस योजना के अंतर्गत नवीन परियोजनाओं के लिए प्रत्येक 100 एकड़ भूमि पर परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
 - यह सहायता अधिकतम ₹50 करोड़ तक सीमित है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF):** यह एक निधियों की निधि के रूप में कार्य करती है, जो जोखिम पूँजी उपलब्ध कराने के लिए उद्यम पूँजी निधियों (सहायक निधियों) में निवेश करती है।
 - इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली अभिकल्पना एवं विनिर्माण (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बाजार-आधारित नवाचार, उत्पाद अभिकल्पना एवं नवोद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS):** इस योजना के अंतर्गत चिह्नित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के पूँजीगत व्यय पर 25% वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
 - इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मूल्य शृंखला के अगले चरणों में उपयोग किए जाते हैं।

निष्कर्ष

- इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति का एक प्रमुख आधार बनकर उभरी है।

- केंद्रीय बजट 2026–27 में इस योजना का बजटीय आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया गया, जो घरेलू उत्पादन क्षमता के विस्तार के प्रति सरकार की सुदृढ़ नीतिगत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस योजना ने उल्लेखनीय निवेश आकर्षित किया है, उत्पादन में वृद्धि की है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

स्रोत: TH

भारतीय कंपनियों के ओवरसीज़ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने संबंधी नियमों का शिथिलीकरण

संदर्भ

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) ने ओवरसीज़ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने संबंधी नियमों को शिथिल करने के उद्देश्य से कंपनी (अनुमत अधिकार क्षेत्रों में इक्विटी लिखतों की सूचीबद्धता) संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं।

ओवरसीज़ सूचीबद्धता क्या है?

- ओवरसीज़ सूचीबद्धता से तात्पर्य किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों को विदेशी निवेशकों से पूँजी एकत्रित करने के लिए अनुमत अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने से है।
- जनवरी 2024 में सरकार ने भारतीय कंपनियों को गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (GIFT-IFSC) में संचालित अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में अपनी प्रतिभूतियों को सीधे सूचीबद्ध कराने की अनुमति दी थी।

वर्ष 2026 के संशोधन के प्रमुख प्रावधान

- **इक्विटी लिखतों के दायरे का विस्तार:** संशोधन के अंतर्गत ओवरसीज़ सूचीबद्धता संबंधी रूपरेखा में 'इक्विटी शेयर' शब्द के स्थान पर 'इक्विटी लिखत' शब्द का प्रयोग किया गया है।
 - अब कंपनियाँ अनुमत अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय ऋणपत्र तथा अधिमान शेयर सूचीबद्ध करा सकती हैं।
- **ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियों को अनुमति:** अब ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियाँ भी विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो सकती हैं, बशर्ते शुद्ध निर्गम का कम-से-कम 75% हिस्सा पात्र संस्थागत क्रेताओं (QIBs) को आवंटित किया जाए।
- **असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों को अनुमति:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में कार्यरत असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियाँ भी विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्धता की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
 - इसके लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के लागू नियमों का अनुपालन करना होगा।
- **ऋण चुकाने के बाद प्रतीक्षा अवधि में कमी:** जिन कंपनियों ने वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों का भुगतान कर दिया है, उनके लिए प्रतीक्षा अवधि दो वर्ष से घटाकर छह महीने से अधिक कर दी गई है।
- **प्रपत्र LEAP-1 में संशोधन:** सरकार ने प्रपत्र LEAP-1 में संशोधन किया है, जिसका उपयोग कंपनियाँ कंपनी रजिस्ट्रार (RoC) के पास अपना विवरण-पत्र दाखिल करने के लिए करती हैं।
 - संशोधित प्रपत्र के अंतर्गत कंपनियों को यह बताना अनिवार्य होगा कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतरंगत उनके विरुद्ध कोई निरीक्षण, जाँच अथवा अन्वेषण की कार्रवाई की गई है।

संशोधन का महत्त्व

- **वैश्विक पूँजी तक बेहतर पहुँच:** इससे भारतीय कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से पूँजी एकत्रित कर सकेंगी तथा वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता ला सकेंगी।
- **वित्तीय लचीलापन:** पात्र प्रतिभूतियों के व्यापक विकल्प उपलब्ध होने से कंपनियाँ अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त वित्तपोषण साधनों का चयन कर सकेंगी।
- **व्यावसायिक पुनरुद्धार को समर्थन:** ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली कंपनियों को विदेशी पूँजी तक पहुँच प्राप्त होगी, जिससे उनके पुनर्गठन एवं व्यावसायिक पुनरुद्धार में सहायता मिल सकती है।
- **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों का सुदृढ़ीकरण:** इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी की भूमिका का विस्तार होगा तथा वैश्विक निवेशकों के लिए इसका आकर्षण बढ़ेगा।
- **वैश्विक वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा:** यह संशोधन भारत की ओवरसीज़ सूचीबद्धता संबंधी रूपरेखा को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रथाओं तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की वर्तमान नियामकीय व्यवस्था के अनुरूप बनाता है।
- **संस्थागत निवेशकों की भागीदारी:** पात्र संस्थागत क्रेताओं (QIBs) के लिए निर्धारित आवंटन की अनिवार्यता से समुचित जाँच-पड़ताल को बढ़ावा मिलेगा तथा विदेशी निर्गमों में निवेशकों का विश्वास सुदृढ़ होगा।

प्रमुख चिंताएँ

- **सूचना विषमता :** विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति एवं अभिशासन संबंधी कार्यप्रणालियों का आकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- **बाजार में अस्थिरता :** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से जुड़ाव बढ़ने के कारण कंपनियों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

प्रमुख आर्थिक शब्दावली

- **पूँजी बाजार :** यह एक ऐसा वित्तीय बाजार है, जहाँ एक वर्ष से अधिक अवधि की दीर्घकालिक पूँजी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे शेयर, बॉण्ड एवं ऋणपत्र आदि के माध्यम से जुटाई एवं निवेश की जाती है।
- **इक्विटी शेयर :** ये किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयर होते हैं।
 - इनके धारकों को मतदान का अधिकार तथा कंपनी के लाभ एवं परिसंपत्तियों में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी प्राप्त होती है।
- **परिवर्तनीय ऋणपत्र :** ये ऐसे ऋण साधन हैं, जिन्हें निर्धारित शर्तों के अंतर्गत कंपनी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **अधिमान शेयर :** ये ऐसे शेयर हैं, जिनके धारकों को इक्विटी शेयरधारकों की तुलना में लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूँजी वापस पाने में प्राथमिकता प्राप्त होती है।
- **पात्र संस्थागत क्रेता (QIBs):** ये ऐसे संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ एवं बैंक, जिनके पास अपनी वित्तीय क्षमता एवं विशेषज्ञता के आधार पर प्रतिभूतियों में निवेश करने की योग्यता होती है।

स्रोत: FE

संक्षिप्त समाचार

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शहीद स्मारक

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के अंबाला में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। इस स्मारक में 22 दीर्घाएँ स्थापित की गई हैं।

1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक महत्त्व

- **विद्रोह का प्रारंभ :** यह विद्रोह 10 मई, 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ तथा उत्तर और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया।
- **विद्रोह का विस्तार:** यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झाँसी, बरेली, इलाहाबाद, बिहार तथा अन्य क्षेत्रों तक फैल गया।
- **विद्रोह का दमन :** - अंग्रेजों ने धीरे-धीरे प्रमुख विद्रोही केंद्रों पर पुनः अधिकार स्थापित किया तथा वर्ष 1858 तक विद्रोह का दमन कर दिया।
- **ऐतिहासिक नामकरण:** वी. डी. सावरकर ने अपनी वर्ष 1909 में प्रकाशित पुस्तक में इस विद्रोह को 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' की संज्ञा दी थी।

1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता

नेता	विद्रोह का केंद्र/क्षेत्र
बहादुर शाह ज़फ़र	दिल्ली
नाना साहेब	कानपूर
रानी लक्ष्मी बाई	झाँसी
तात्या टोपे	कानपुर, ग्वालियर और मध्य भारत
बेगम हज़रत महल	लखनऊ
कुंवर सिंह	जगदीशपुर (बिहार)
बख्त खान	दिल्ली
खान बहादुर खान	बरेली
अजीमुल्लाह खान	कानपूर

स्रोत: DD News

एशियाई राजनीतिक दलों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICAPP)

संदर्भ

- एशियाई राजनीतिक दलों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICAPP) ने सियोल घोषणा-पत्र को अपनाया।

परिचय

- इस घोषणा-पत्र को सियोल में आयोजित ICAPP की 13वीं महासभा में सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- इस महासभा में पूरे एशिया के 83 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सियोल घोषणा-पत्र

- इस घोषणा-पत्र का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच विश्वास के पुनर्निर्माण के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को केंद्रीय स्थान प्रदान करना है।
- इसमें निम्नलिखित सिद्धांतों पर बल दिया गया है:
 - राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
 - अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना।
 - सभी राष्ट्रों को समान दर्जा प्रदान करना।
- इस घोषणा-पत्र में कूटनीति के साधन के रूप में बल प्रयोग को अस्वीकार किया गया तथा सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय कानून का निरंतर सम्मान करने का आह्वान किया गया।
- ICAPP की 14वीं महासभा वर्ष 2028 में वियतनाम में आयोजित की जाएगी।

एशियाई राजनीतिक दलों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ICAPP)

- **अर्थ:** यह एक क्षेत्रीय मंच है, जो संवाद, सहयोग एवं पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए पूरे एशिया के राजनीतिक दलों को एक साथ लाता है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना वर्ष 2000 में मनीला (फिलीपींस) में की गई थी।
- यह अंतर-सरकारी संगठन के बजाय राजनीतिक दलों का एक मंच है।
- **प्रमुख संस्थागत संरचनाएँ:**
 - **महासभा :** यह संगठन का प्रमुख निर्णय लेने वाला एवं विचार-विमर्श संबंधी मंच है। इसकी बैठक सामान्यतः प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित की जाती है।
 - **स्थायी समिति :** यह संगठन की गतिविधियों की निगरानी करती है तथा बैठकों एवं कार्यक्रमों से संबंधित निर्णय लेती है।
 - **स्थायी सचिवालय:** इसकी स्थापना वर्ष 2009 में सियोल (दक्षिण कोरिया) में की गई थी।

स्रोत: TH

भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) स्कोरबोर्ड

संदर्भ

- नीति आयोग ने देशभर के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कोरबोर्ड का शुभारंभ किया।

परिचय

- **उद्देश्य:** अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, वैज्ञानिक प्रकाशनों, उद्धरणों, पेटेंट आवेदनों तथा प्रौद्योगिकीय नवाचार जैसे प्रमुख संकेतकों के माध्यम से भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करना।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 11 प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्रों को शामिल करेगा। इनमें स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, महत्त्वपूर्ण खनिज तथा कृषि शामिल हैं।
- इस मंच के अंतर्गत 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायता के लिए आँकड़े एवं विश्लेषण उपलब्ध कराएगा।
- इस पहल से राज्य विश्वविद्यालयों एवं केंद्र द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलने तथा भारत के अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ होने की अपेक्षा है।
- **महत्त्व :** यह मंच राज्यों को उनकी क्षमताओं एवं कमियों को समझने तथा अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के अनुरूप निर्धारित करने में सहायता करेगा।

स्रोत: AIR

पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

- उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में भवनों पर छत आधारित सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित करने के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर रेल मंत्रालय को पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त विद्युत योजना

- **शुभारंभ:** इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2024 में किया गया था। इसके लिए ₹75,021 करोड़ का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू छत आधारित सौर ऊर्जा योजना बन गई है।
- इस योजना के अंतर्गत परिवारों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती एवं सुलभ बनती है।
- इसके अंतर्गत आसान वित्तपोषण विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से 6.75% की रियायती ब्याज दर पर ₹2 लाख तक के बिना किसी संपार्श्विक गारंटी वाले ऋण शामिल हैं। इससे इस योजना को अपनाने की गति और तेज हुई है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **परिवारों को निःशुल्क विद्युत:** इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्राप्त छत आधारित सौर पैनल स्थापित करके परिवारों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
 - इससे परिवारों के ऊर्जा व्यय में उल्लेखनीय कमी आती है।
- **सरकार के विद्युत व्यय में कमी:** सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने से सरकार को बिजली व्यय में प्रतिवर्ष लगभग ₹75,000 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग:** यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत में अधिक सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा मिश्रण विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- **कार्बन उत्सर्जन में कमी:** इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा की ओर संक्रमण से कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलेगी तथा भारत की कार्बन पदचिह्न को कम करने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

महत्त्व

- यह योजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की दिशा में भारत की प्रगति में योगदान देती है। मार्च 2026 तक देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 150 गीगावाट को पार कर चुकी थी।
- इससे ऊर्जा तक पहुँच में सुधार होगा तथा विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) पर सब्सिडी का वित्तीय भार कम करने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: DD

कोचोन पुरस्कार 2026

संदर्भ

- भारतीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) REACH को तपेदिक (टीबी) के विरुद्ध संघर्ष में योगदान के लिए कोचोन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह वैश्विक सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम नागरिक समाज संगठन बन गया है।

परिचय

- रिसोर्स ग्रुप फॉर एजुकेशन एंड एडवोकेसी फॉर कम्युनिटी हेल्थ (REACH) भारत स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में चेन्नई में हुई थी।
- यह सम्मान इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष 2024 में वैश्विक टीबी रोगभार का लगभग 25% हिस्सा भारत में था। इस प्रकार, भारत टीबी के सर्वाधिक मामलों वाला देश था।

कोचोन पुरस्कार

- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2006 में कोचोन फाउंडेशन के संस्थापक चोंग-कुन ली के सम्मान में की गई थी। यह टीबी के विरुद्ध संघर्ष में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है।
- इसे प्रतिवर्ष स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ 65,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाती है।
- वर्ष 2026 का कोचोन पुरस्कार REACH, केन्या के सेंटर फॉर हेल्थ सॉल्यूशंस तथा मार्शल द्वीपसमूह के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।
- भारत के पूर्व पुरस्कार विजेताओं में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख एल.एस. चौहान (2006), भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (2017) तथा मोलबायो डायग्नोस्टिक्स (2024) शामिल हैं।

तपेदिक (टीबी) क्या है?

- तपेदिक (टीबी) एक संक्रामक रोग है, जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
- यह संक्रमित व्यक्ति के खाँसने, छींकने या थूकने पर वायु के माध्यम से फैलता है।
- **लक्षण:** लंबे समय तक खाँसी रहना (कभी-कभी खाँसी के साथ खून आना)।
 - सीने में दर्द, कमजोरी, थकान, वजन कम होना, बुखार तथा रात में पसीना आना।
 - टीबी सामान्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह गुर्दे, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और त्वचा को भी प्रभावित कर सकता है।
- **उपचार:** टीबी की रोकथाम संभव है तथा एंटीबायोटिक दवाओं से इसका उपचार किया जा सकता है।
- **टीबी का टीका:** बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (BCG) का टीका टीबी के विरुद्ध अब तक का एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है।
 - यह शिशुओं और छोटे बच्चों में टीबी के गंभीर रूपों, विशेषकर टीबी मेनिन्जाइटिस (मस्तिष्कावरण शोथ), से मध्यम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है।

स्रोत: TH

'महाभारत', 'अर्थशास्त्र' और 'राजतरंगिणी' यूनेस्को के स्मृति पंजिका में सम्मिलित

संदर्भ

- महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी की पांडुलिपियों को यूनेस्को की 'विश्व स्मृति एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय पंजिका' में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्रीय पंजिका में भारत की कुल प्रविष्टियों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

यूनेस्को की विश्व स्मृति एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय पंजिका के बारे में

- यह यूनेस्को के 'विश्व स्मृति कार्यक्रम' के अंतर्गत एक क्षेत्रीय पंजिका है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1992 में विश्व की दस्तावेजी विरासत का संरक्षण करने तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए इसकी सुलभता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसका प्रशासन एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व स्मृति समिति (MOWCAP) द्वारा किया जाता है।

पंजिका में शामिल तीन प्रमुख ग्रंथ

- **राजतरंगिणी:**
 - इसकी रचना 12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने की थी। यह संस्कृत में रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न राजवंशों, शासकों और राजनीतिक घटनाक्रमों के माध्यम से कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है।
 - इसका कालक्रमानुसार विवरण तथा ऐतिहासिक स्रोतों का विश्लेषण इसे कश्मीर के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अतीत का एक महत्त्वपूर्ण अभिलेख बनाता है।
- **महाभारत:**
 - यह विश्व के सबसे लंबे महाकाव्यात्मक आख्यानों में से एक है। इसमें कर्तव्य, न्याय, नैतिकता, सत्ता, पारिवारिक संबंधों तथा व्यक्तियों और शासकों के उत्तरदायित्वों जैसे विषयों का विवेचन किया गया है।
 - इसके दार्शनिक पक्ष, विशेषकर भगवद्गीता ने पीढ़ियों से विचारकों को प्रभावित किया है तथा नैतिकता और मानवीय आचरण से संबंधित विमर्श को दिशा दी है।
- **अर्थशास्त्र:**
 - परंपरागत रूप से इसकी रचना का श्रेय कौटिल्य (चाणक्य) को दिया जाता है। यह शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सैन्य रणनीति से संबंधित एक आधारभूत ग्रंथ है।
 - इसमें राज्य संचालन, कराधान, कानून-व्यवस्था, गुप्तचर तंत्र तथा लोक प्रशासन जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। यह प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में महत्त्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

क्षेत्रीय पंजिका में भारत की अन्य प्रविष्टियाँ

- वर्ष 2024 में इस क्षेत्रीय पंजिका में निम्नलिखित भारतीय पांडुलिपियों को शामिल किया गया था:
 - **रामचरितमानस की सचित्र पांडुलिपियाँ:** इनमें सूक्ष्म लघुचित्रों के माध्यम से तुलसीदास की रचना को संरक्षित किया गया है।
 - **पंचतंत्र की पांडुलिपि:** इसमें 15वीं शताब्दी की एक दुर्लभ पांडुलिपि शामिल है, जिसमें पशु-कथाएँ और नैतिक शिक्षाओं से संबंधित कहानियाँ संकलित हैं।
 - **सहृदयालोक-लोचन की पांडुलिपि:** यह भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है।

स्रोत: TH

■■■■

NEXT IAS हिन्दी